...यालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 381/18

सरकार बनाम श्री तेजसिंह पुत्र नन्नूआ धोबी

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 15/3/18

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री तेजसिंह पुत्र श्री नन्नूआ जाति धोबी निवासी सिंघवाड़ा तहसील महवा ने संवत 2074 फसल रवि / खरीफ मे ग्राम सिंघवाड़ा की राजकीय आराजी खसरा नं. 382 कुल रकबा 0.11 किस्म गैरमु. रास्ता भूमि से 40 वर्गमीटर रकबा पर अनाधिकृत रूप से मकान कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अत अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अत: अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.08 का 56 गुना 452 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

नायब तहसीलदार
महवा जिला दौसा

रजिस्टर ... के पेज नं0 120 पर
वर्ष 2017-18 ... नीलामी
की राशि ... 452 रु0
की जमा ...
दिनांक 15/3/18 ... राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा